न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 162 / 2024

अनवान : –

1. राज बहादुर सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
2. कर्मपाल सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)

– वादी

बनाम्

1. टेक सिंह पुत्र किसन सिंह उर्फ किशन सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब)
2. सिमरन जीत कौर पुत्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 238 / 237 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.5570 है0 भूमि व खाता सख्या 56 / 56 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि एवं खाता संख्या 57 / 57 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.0600 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 110 / 106 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 12.6500 है0 भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में [illegible] ब0 हि0 ब0 काबिज दाखिल है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर [illegible] के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वह वादीगण के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 238/237 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.5570 है0 भूमि व खाता सख्या 56/56 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि एवं खाता संख्या 57/57 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 110/106 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 12.6500 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि उपरौक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 अपना नाम कलमजन करवाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करता रहा आखिरकार दिनांक 30.01.2024 को बमुकाम 14 केएनएनल तहसील नोहर साफ इन्कार हो गया।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा 14 केएनएन खाता संख्या 238/237, नामान्तरण संख्या 13 रोही मौजा 14 केएनएन, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत [illegible] रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 238/[illegible]7 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.5570 है0 भूमि व खाता सख्या 56/56 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि एवं खाता संख्या

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

57/57 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 110/106 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 12.6500 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 238/237 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.5570 है0 भूमि व खाता सख्या 56/56 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि एवं खाता संख्या 57/57 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 110/106 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 12.6500 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 162/2024

अनवान : –

1. राज बहादुर सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
2. कर्मपाल सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)

– वादी

बनाम्

1. टेक सिंह पुत्र किसन सिंह उर्फ किशन सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब)
2. सिमरन जीत कौर पुत्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी हुसनर तहसील गिदड़बाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 162 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 238/237 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.5570 है0 भूमि व खाता सख्या 56/56 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि एवं खाता संख्या 57/57 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 3.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 110/106 के कुल खसरे 55 की कुल तादादी 12.6500 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:45 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर